


खसरा नंबर 163 रकबा 3.1161 हैक्टेयर, खसरा नंबर 162 रकबा 0.1295 हैक्टेयर
खसरा नंबर 169 रकबा 8.5308 हैक्टेयर की भूमि का बंटवाड़ा पूर्ण विभाजन नहीं होने के
कारण हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 30.11.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश
के तहत किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 30.11.2021
पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 4328 दिनांक 07.07.2022 को प्राप्त हुआ।
प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकील वादी द्वारा खसरा नं. 168
के विभाजन के प्रस्ताव पर आपत्ति करके दुबारा प्रस्ताव मंगवाने का निवेदन किये जाने
पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं किये जाने पर दुबारा प्रस्ताव मांगे जाने
पर प्रस्ताव मांगे जाने पर पक्षकारान के वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार
किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।
पत्रावली का अवलोकन किया। वाद में वादीगण ने विस्तृत विभाजन नहीं चाहा है अपितु
वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 तथा प्रतिवादीगण संख्या 19 से 26 तथा 28 के बीच के
विभाजन की ही ईस्तदुआ की है। इसलिए हमारी राय में वाद में चाही गई इस्तदुआ से ईतर
विभाजन प्रस्ताव जो कब्जा अनुसार है के अनुसार ही वाद में अंतिम डिक्री किया जाना
संयोजित पाते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
सर्वकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है—

1. वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 के बंट व खातेदारी में खसरा नं. 169 में से
रकबा 8.3002 हैक्टर पूर्वी भाग, खसरा नं. 163 रकबा 3.1161 हैक्टर, खसरा नं. 162 रकबा
0.01295 हैक्टर का आधा पूर्वी भाग तथा खसरा नं. 13 रकबा 4.9048 हैक्टर के घोषित
किये जाते हैं।
2. प्रतिवादीगण संख्या 19 से 25 तथा 28 के बंट कब्जे कास्त तथा खातेदारी में खसरा नं. 12
रकबा 4.8967 हैक्टर, खसरा नं. 168 रकबा 7.5110 हैक्टर, खसरा नं. 161 रकबा 3.6826
हैक्टर तथा खसरा नं. 162 रकबा 0.01295 हैक्टर का आधा पश्चिमी भाग घोषित किया
जाता है।
3. प्रतिवादी दयालसिंह 1/5, प्रतिवादी दशरथसिंह 1/5, मनोहरसिंह 1/5, जेठूसिंह 1/5
पिता भंवरसिंह, अमर कंवर पत्नी भंवरसिंह 1/5 के संयुक्त हक बंट कब्जा कास्त में मौजा
भावला के खेत खसरा नंबर 12 में से 1.1612 हैक्टेयर उत्तरी पश्चिमी भाग व खसरा नंबर
169 में से रकबा 0.0576 हैक्टेयर उत्तरी पश्चिमी कोना, खसरा नंबर 168 में से 1.7323
हैक्टेयर उत्तरी भाग, खसरा नंबर 161 में से रकबा 1.0661 हैक्टेयर उत्तरी भाग माफिक
नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।



प्रतिवादी मांगुसिंह 1/7, प्रतापसिंह 1/7, दातारसिंह 1/7, सम्पतसिंह 1/7 पिता सोहनसिंह, अन्तरकंवर 1/7, लाड कंवर 1/7 पुत्रिया सोहनसिंह, करणसिंह 1/21, विक्रम सिंह 1/21 पिता परमेश्वरसिंह, कमलेश कंवर पत्नी परमेश्वरसिंह 1/21 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 12 में से 1.1612 हैक्टेयर उत्तरी पूर्वी भाग व खसरा नंबर 169 में से रकबा 0.0581 हैक्टेयर मध्य भाग, खसरा नंबर 168 में से 1.7836 हैक्टेयर मध्य भाग, खसरा नंबर 161 में से रकबा 1.0144 हैक्टेयर मध्य भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।

प्रतिवादी हनुमानसिंह दत्तक पुत्र गुमानसिंह 1/2, गुमानसिंह पुत्र किशोरसिंह 1/2 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला को खेत खसरा नंबर 12 में से रकबा 2.4483 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 168 में से रकबा 3.9951 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खेत खसरा नंबर 161 में से रकबा 1.6021 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 169 में से रकबा 0.1149 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।

प्रतिवादी दयालसिंह 1/10, प्रतिवादी दशरथसिंह 1/10, मनोहरसिंह 1/10, जेदूसिंह 1/10 पिता भंवरसिंह, अमर कंवर पत्नी भंवरसिंह 1/10, प्रतिवादी मांगुसिंह 1/14, प्रतापसिंह 1/14, दातारसिंह 1/14, सम्पतसिंह 1/14 पिता सोहनसिंह, अन्तरकंवर 1/14, लाड कंवर 1/14 पुत्रिया सोहनसिंह, करणसिंह 1/42, विक्रम सिंह 1/42 पिता परमेश्वरसिंह, कमलेश कंवर पत्नी परमेश्वरसिंह 1/42 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 12 में से 0.1260 हैक्टेयर उत्तरी भाग रास्ता माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।

प्रतिवादी हनुमानसिंह दत्तक पुत्र गुमानसिंह 1/4, गुमानसिंह पुत्र किशोरसिंह 1/4, दयालसिंह 1/20, प्रतिवादी दशरथसिंह 1/20, मनोहरसिंह 1/20, जेदूसिंह 1/20 पिता भंवरसिंह, अमर कंवर पत्नी भंवरसिंह 1/20, प्रतिवादी मांगुसिंह 1/28, प्रतापसिंह 1/28, दातारसिंह 1/28, सम्पतसिंह 1/28 पिता सोहनसिंह, अन्तरकंवर 1/28, लाड कंवर 1/28 पुत्रिया सोहनसिंह, करणसिंह 1/84, विक्रम सिंह 1/84 पिता परमेश्वरसिंह, कमलेश कंवर पत्नी परमेश्वरसिंह 1/84 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 162 में से 0.0648 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।

प्रतिवादी पूर्ण सिंह 1/64, शिवसिंह 1/64, अजीतसिंह 1/64, सुमेरसिंह 1/64, परमेश्वरसिंह 1/64 पिता नारायणसिंह, पारस कंवर 1/64, सम्पत कंवर 1/64, धापूकंवर 1/64 पुत्रिया नारायणसिंह, हनुमानसिंह पुत्र मोहनसिंह 1/24, विनोद कंवर पुत्री मोहनसिंह 1/24, धनश्याम सिंह 1/96, श्यामसिंह 1/96 पिता उम्मेदसिंह, प्रकाश कंवर पुत्री उम्मेदसिंह 1/96, कमल कंवर पत्नी उम्मेदसिंह 1/96, खिंवासिंह 1/8, गणपतसिंह 1/8 पिता अमरसिंह, जगदीश सिंह 1/12, रेवन्तसिंह 1/12 पिता जालमसिंह, भवानीसिंह 1/72, नन्दूसिंह 1/72, दिलिपसिंह 1/72 पिता श्रवणसिंह, सुरेश कंवर 1/72, मीकूकंवर 1/72 पुत्रिया श्रवणसिंह, किरण कंवर पत्नी श्रवणसिंह 1/72, वादीगण गुलाबसिंह 1/16, गोपालसिंह 1/16, रामसिंह 1/16 पिता छोटूसिंह, रणवीरसिंह 1/112, भवानीसिंह 1/112, श्यामसिंह 1/112 पिता जब्बरसिंह, सुमित्रा कंवर 1/112, सुमन कंवर 1/112, अनु कंवर 1/112 पुत्रिया जब्बरसिंह, सुप्यार कंवर पत्नी जब्बरसिंह 1/112 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला के खेत खसरा नंबर 162 में से 0.0647 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खसरा नंबर 13 रकबा 4.9048 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 163 रकबा 3.1161 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 169 में से रकबा 8.3002 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।



Rs. 2


राजस्व वाद 28/2021

जीसीएमएस नंबर- 2021/00049

गुलाबसिंह बनाम् अजीतसिंह वगैरह

तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
बैंक के रहन खस्रान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 06/1/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी
र सरे इजलास सुनाया गया।


(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
जायल

